

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(13)गृह-1/2025 (27429)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2026 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सीनियर स्केल से सलेक्शन स्केल में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. स.	नाम अधिकारी	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति दिनांक
1.	श्री लाखन सिंह	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	28.06.1973	01.04.2025
2.	श्रीमती प्रियंका	सामान्य	10.07.1979	01.04.2025
3.	श्री रोशन लाल पटेल	सामान्य	04.04.1976	01.04.2025
4.	श्रीमती नीरज कुमारी शर्मा	सामान्य	07.09.1984	01.04.2025
5.	श्री सौरभ तिवाड़ी	सामान्य	20.10.1984	01.04.2025
6.	श्री कमल कुमार	सामान्य	10.08.1971	01.04.2025
7.	श्री मोटाराम	सामान्य	02.05.1978	01.04.2025
8.	श्री प्रवीण कुमार	सामान्य	01.01.1984	01.07.2025
9.	श्री जयदेव सियाग	सामान्य	14.06.1985	01.07.2025
10.	श्री लोकेन्द्र दादरवाल	सामान्य	01.11.1976	01.07.2025
11.	कुमारी मनस्वी चौधरी	सामान्य	10.03.1987	01.07.2025
12.	कुमारी संजना सैनी	सामान्य	02.08.1989	01.07.2025
13.	श्रीमती नवीता खोखर	सामान्य	30.10.1973	01.07.2025
14.	श्री दिनेश कुमार	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	07.05.1984	01.08.2025
15.	श्री विनोद कुमार सीपा	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	28.09.1983	01.08.2025
16.	श्री नेमीचन्द्र खारिया	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	06.11.1981	01.08.2025
17.	श्री शंकरलाल मीणा	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	08.10.1980	01.09.2025
18.	श्री मनराज मीना	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	14.09.1989	01.11.2025
19.	श्रीमती प्रेम धणदे	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	23.02.1983	01.11.2025
20.	श्रीमती अंजली अजीत जौरवाल	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	15.04.1985	13.12.2025
21.	कुमारी संध्या यादव	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	19.03.1978	01.01.2026
22.	श्रीमती अंजुम कायल	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	13.11.1989	01.03.2026

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधधीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)



संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस